# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 01/2009

**उनवान प्रकरण**

1—सुक्कोदेवी वेवा बीधाराम " **मृतक**" | समस्त जातिगण कुशवाह
2—रामेश्वर |
3—रामस्नेही | पुत्रगण | निवासीगण भामतीपुरा
4—बनवारी |
5—विनोद | अमरसिंह |
6—रामदास | | तहसील व जिला धौलपुर
7—अनारदेई पुत्री अमरसिंह पत्नि नत्थीलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम बसेडी
8—रामरती पुत्री अमरसिंह पत्नि कमलसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम बसडी
9—किरनदेई पुत्री अमरसिंह पत्नि डरूआराम जाति कुशवाह नि0शिवनगर धौलपुर
10—सुनीता पुत्री अमरसिंह पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति कुशवाह निवासी पुरानी विजय नगर कॉलोनी आगरा उ0प्र0

..................**अपीलान्टस**

**बनाम**

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर
2—रेल विभाग भारत सरकार जरिये चैयरमैन रेलवे बोर्ड रेल भवन नई दिल्ली

..................**असल रेस्पोडेण्ट**

3—भगवानसिंह पुत्र वीधाराम | समस्त जातिगण कुशवाह
4—भगवानदास पुत्र वीधाराम " **फोत** " | निवासीगण भामतीपुरा धौलपुर हाल पंचमुखी
4/1—शान्ति पत्नि भगवानदास | हनुमान के सामने वाली गली गडरपुरा
5—रामजीलाल पुत्र हरप्रसाद | धौलपुर
6—कलावती पुत्री बीधाराम पत्नि पांचिया जाति कुशवाह निवासी ग्राम खेरा का पुरा तहसील व जिला धौलपुर
7—अंगूरी पत्नि राधेश्याम जाति कुशवाह निवासी मोहनकापुरा आगरा उ0प्र0

..................**तरतीवी रेस्पोडेण्टस**

**अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 20**
**दिनांक 31.12.2004 ग्राम भामतीपुरा**
**तहसील धौलपुर**

**उपस्थिति अभिभाषक :—**

**अपीलान्ट की ओर से** :— श्री विनोद कुमार भार्गव एडवोकेट
**रेस्पो0सं01 की ओर से** :—श्री गोपालनारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
**रेस्पो0सं05 की ओर से** :—श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

न्या0अति.जिला कलक्टर धौ0
वमुकः सुक्को वगैरा बनाम सरकार व अन्य
अपील संख्या 1/2009

**निर्णय** दिनांक : 24.08.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि ग्राम भामतीपुरा तहसील धौलपुर स्थित आराजी नम्बर 49 रकवा 01 वीधा 13 विस्वा के खातेदार कृषक दौलतिया व अमरसिंह पुत्रगण तुल्ली थे। दौलतिया व अमरसिंह का देहान्त हो चुका है। दौलतिया का वारिस उसका पुत्र बीधाराम हुआ। बीधाराम का भी देहान्त हो चुका है उसके वारिस अपीलान्ट कमांक–1 तथा तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 3लगा07 है। अमरसिंह के वारिस अपीलान्ट संख्या 2लगा010 है। रम्पो व गोपाल की मृत्यु हो गई है उनके वारिस अपीलान्ट 2 लगा010 है। वर्ष 1973 में रेस्पो0 कमांक–2 द्वारा रेल विभाग के लिये भूमि अवाप्त की गई अवाप्त की गई भूमि का जो नामान्तकरण तस्दीक किया गया उसमें खसरा नम्बर 59 के स्थान पर 49 अंकित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन आदेश तथ्यों व विधिक प्रावधानों के विपरीत है। जब खसरा नम्बर 49 में से कोई भूमि अवाप्त ही नहीं की गई तो उसके सम्बध में अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण अथवा उनके पूर्व पुरूषों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। जब खसरा नम्बर 49 के बावत कोई आदेश था ही नही तो उसके बावत पारित आदेश क्षेत्राधिकार विहीत होने के कारण अवैध व शून्य है। अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्टस ने अपने खसरा नम्बर 49 को विकय करने बावत वातचीत करने हेतु जब दिनांक 15.12.2008 को जमाबन्दी की नकल हासिल की तो उसमें खसरा नम्बर 49 के स्थान 49/1 एवं रकवा 1 वीधा 13 विस्वा के स्थान पर केवल 13 विस्व का अंकन पाया जिस पर प्रार्थीगण ने पुराने राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त की जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी की तिथि से अपील अन्दर अवधि पेश है फिर भी प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत हैं। वैसे भी प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार विहीन आदेश होने के कारण मियाद का बिन्दु महत्वहीन हो जाता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर खसरा नम्बर 49 की हद तक अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के सर्मथन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नक्शा ट्रेस ग्राम भामतीपुरा, नकल नामान्तकरण संख्या–20 जमाबन्दी सम्बत 2032 से 35 ग्राम भामतीपुरा, नकल जमाबन्दी सम्बत 2061 से 64 ग्राम भामतीपुरा तहसील धौलपुर पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं हुये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तकरण रिकार्ड तलव किया गया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि वर्ष 1973 में रेस्पो0 क्रमांक–2 द्वारा रेल विभाग के लिये भूमि अवाप्त की गई अवाप्त की गई भूमि का जो नामान्तकरण तस्दीक किया गया उसमें खसरा नम्बर 59 के स्थान पर 49 अंकित कर दिया गया अपीलाधीन आदेश तथ्यों व विधिक प्रावधानों के विपरीत है। जब खसरा नम्बर 49 में से कोई भूमि अवाप्त ही नहीं की गई तो उसके सम्बध में अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। नक्शा अनुसार अवाप्ति वास्तव में ख0न0 59 में हुई थी जबकि नामान्तकरण ख0नं0 49 का भरा गया हैं। अपीलान्ट को मुआवजा भी नहीं मिला। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण अथवा उनके पूर्व पुरूषों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। जब खसरा नम्बर 49 के बावत कोई आदेश था ही नही तो उसके बावत पारित आदेश क्षेत्राधिकार विहीन होने के कारण अवैध व शून्य है। वैसे भी प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार विहीन आदेश होने के कारण मियाद का बिन्दु महत्वहीन हो जाता है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक ने दौराने वहस कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि हुई है तो उसकी पुनः जांच करायी जाकर शुद्व किया जा सकता है।

रेस्पोडेन्ट संख्या–5 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया किया नक्शा अनुसार अपीलान्ट के खसर नम्बर 49 की अवाप्ति हुई है खसरा नम्बर 59 में कोई अवाप्ति नहीं हुई। खसरा नम्बर 49 का मिन नम्बर बनाया हुआ है। जिस आदेश से नामान्तकरण भरा गया है वह आदेश अपीलाधीन नामान्तकरण के साथ सलग्न नहीं है। मेरे खसरा नम्बर 59 में कोई अवाप्ति नहीं हुई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि वर्ष 1973 में रेस्पो0 क्रमांक–2 द्वारा रेल विभाग के लिये भूमि अवाप्त की गई अवाप्त की गई भूमि का जो नामान्तकरण तस्दीक किया गया उसमें खसरा नम्बर 59 के स्थान पर 49 अंकित कर दिया गया अपीलाधीन आदेश तथ्यों व विधिक प्रावधानों के विपरीत है। जब खसरा नम्बर 49 में से कोई भूमि अवाप्त ही नहीं की गई तो उसके सम्बध में अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। हमने पत्रावली उप उपलब्ध अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 20 ग्राम भामतीपुरा का अवलोकन किया। नामान्तकरण के कॉलम संख्या–16 में वर्णित अवाप्ति आदेश जिससे यह नामान्तकरण खोला गया है उक्त आदेश नामान्तकरण पत्रावली में चस्पा नहीं है जिसके कारण स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह जॉच का विषय का है कि अवाप्ति की कार्यवाही खसरा नम्बर 49 में हुई या खसरा नम्बर 59 में हुई है। प्रथम दृष्टया अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा उक्त प्रकरण को हम तहसीलदार धौलपुर को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या–20 ग्राम भामतीपुरा तहसील धौलपुर खसरा नम्बर 49 की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रेलवे विभाग से रिकार्ड तलव करें मौका निरीक्षण कर सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः उचित निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को उनके नामान्तकरण पत्रावली के साथ संलग्न कर भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( हरफूल सिंह यादव )
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner